



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218652
CG-DL-E-13032020-218652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]
No. 147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. 3/2020-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 171(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 5/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 488(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “4 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 14 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

No. 3/2020-Central Excise

G.S.R. 171(E).—In exercise of the powers conferred by section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (herein after referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;
 - (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 4 per litre” shall be substituted;
2. This notification shall come into force with effect from the 14th March, 2020.

[F. No. 354/123/2014-TRU (Pt-1)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. 4/2020-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्- उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;
 - (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।
2. यह अधिसूचना 14 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

गौरव सिंह, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

No. 4/2020-Central Excise

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (herein after referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 14th March, 2020.

[F. No. 354/123/2014-TRU (Pt-1)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. 15/2020-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 173(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2019- सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 475(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “10 रु. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 14 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/123/2014-टीआरयू (भाग-1)]

गौरव सिंह, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

No. 15/2020-Customs

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by section 111 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2019-Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 475 (E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from the 14th March, 2020.

[F. No. 354/123/2014 –TRU (Pt-1)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.